नाबालिक बालिका का युवक द्वारा अपहरण कर लगातार बलात्कार किया जा रहा, बालिका के परिजनों एवं ग्रामीणों ने रंभापुर चौकी का किया घेराव

कड़े विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर



झाबुआ। जिले के मेघनगर विकासखंड अंतर्गत आने वाले रंभापुर चौकी के तहत ग्राम किशनपुरा की एक 12 वर्षीय बालिका को रोहित पिता ऐतरा गरवाल निवासी बालवासा जिसकी लगभग आयु 29 वर्ष है, जिसके द्वारा 12 वर्ष की बालिका को जबर्दस्ती अपने साथ ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक शोषण कर रहा है।

जिसको लेकर परिजनों द्वारा लगातार रंभापुर चौकी प्रभारी को आवेदन दिया जा रहा था, लेकिन 3 से 4 दिन तक एफआईआर नहीं होने पर बालिका के परिजनों के साथ सभी गांववालों ने मिलकर चौकी का घेराव किया एवं सोशल मीडिया पर भी उक्त घटना का जमकर विरोध किया गया।

जब पूरा गांव एक साथ चौकी का घेराव करने को तैयार हुआ, तब जाकर चौकी प्रभारी द्वारा आरोपी युवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। छात्र नेता निलेश गणावा ने बताया कि अगर पुलिस प्रशासन ही ऐसा करेगी, तो आम आदमी की बात कौन सुनेगा और सरकार का नाबालिक विवाह पर प्रतिबंध का नारा कैसे साकार होगा।

पुलिस ऐसी घटनाओं में तत्काल एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती है, जबकि बालिका की उम्र मात्र 12 साल है। परिजनों एवं सभी ग्रामवासियों का कहना है कि 5 दिन के भीतर पुलिस द्वारा बालिका को खोजकर परिजनों को सुपुर्द नहीं किया जाता है और आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो, फिर से पूरा गांव रंभापुर चौकी एवं मेघनगर थाने का घेराव करेगा।

एक माह से बगैर दस्तावेज और गेट पास के दौड़ रही थी बोलेरो, जांच कमेटी गठित, जांच के बाद सामने आएगा किसकी है गाड़ी

सात दिन पहले मारी थी सहायक अभियंता की स्कूटी को टक्कर; सुरक्षा विभाग में बगैर इंश्योरेंस और फिटनेस के संचालित हो रहा था वाहन-

बीड़ (खंडवा)। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (दोगालिया) के सीएचपी कंट्रोल रूम के बाहर सहायक अभियंता राघवेंद्र यादव की स्कूटी को तेज रफ्तार बोलेरो द्वारा टक्कर मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुख्य अभियंता आर. के. साहू ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही यह गाड़ी है किसकी और किसके संरक्षण में चल रही थी।

एक महीने से चल रही थी गाड़ी--

बीते 20 नवंबर (शुक्रवार) को दोपहर 12 बजे के बाद सीएचपी कंट्रोल रूम के सामने बोलेरो क्रमांक रूक 12 ज़ु-1830 ने सहायक अभियंता की स्कूटी को जोरदार टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसमें अभियंता घायल हो गए थे।

जहां प्रबंधन और मुख्य अभियंता का शुरुआती तौर पर कहना है कि वाहन केवल एक दिन के लिए लाया गया था, वहीं जमीनी हकीकत इससे उलट है। सूत्रों के अनुसार, ठेकेदार के माध्यम से सुरक्षा विभाग में भाड़े पर लगाई गई यह बोलेरो पिछले एक महीने से अधिक समय से बगैर इंश्योरेंस, बगैर फिटनेस और बगैर गेट पास के परियोजना परिसर में धड़ल्ले से दौड़ रही थी।

सवालों के घेरे में सुरक्षा विभाग और प्रबंधन--

इस घटना के बाद परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं-

सीसीटीवी फुटेज में कैद सच्चाई- बताया जा रहा है कि परियोजना के मुख्य गेट और कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरों में यह बोलेरो पिछले एक महीने से लगातार आवाजाही करती बताई जा रही है।

किसकी शह पर हो रहा था संचालन? बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस अधिकारी के इशारे पर बगैर वैध दस्तावेजों के इस वाहन को सुरक्षा विभाग में संचालित किया जा रहा था?

यदि यह दुर्घटना न होती और सहायक अभियंता घायल न होते, तो यह लापरवाही शायद कभी उजागर नहीं हो पाती।

आम मजदूरों पर सख्ती, जिम्मेदारों को छूट-

परियोजना में कार्यरत आम मजदूरों और छोटे ठेकेदारों में इस दोहरे मापदंड को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि किसी मजदूर या ठेकेदार के गेट पास की तारीख एक दिन भी आगे-पीछे हो जाए, तो सुरक्षा विभाग के कर्मचारी उन्हें गेट पर ही रोक देते हैं और काम पर नहीं जाने देते। इसके विपरीत, जो विभाग खुद दूसरों के दस्तावेज और नियमों की जांच करता है, उसी विभाग में नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से वाहन चलाया जा रहा था।

जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

श्रमिकों और स्थानीय लोगों की मांग है कि नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए। गठित जांच कमेटी को न केवल यह पता लगाना चाहिए कि उक्त बोलेरो किस अधिकारी से जुड़ी है, बल्कि उस संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने बगैर फिटनेस और इंश्योरेंस के वाहन को परियोजना के भीतर प्रवेश और संचालन की अनुमति दी। अब सभी की निगाहें मुख्य अभियंता द्वारा गठित टीम की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।

इनका कहना -जो नियम कह रहे हैं वह सब कुछ करेंगे अपनी मर्जी से कुछ नहीं

राजेंद्र साहू मुख्य अभियंता सिंगाजी ताप

इनका कहना --जिस ठेकेदार ने गाड़ी लगाया था उस पर ब्लेक लिस्ट की कार्रवाई करेंगे

के एस कुशराम मुख्य सुरक्षा अधिकारी सिंगाजी ताप

जनविश्वास अभियान के तहत सिंघाना में जिला स्तरीय शिविर आयोजित, ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर निराकरण के दिए निर्देश

मनावर से बसन्त जख्मी,(इंदौर समाचार) मनावर विधानसभा के ग्राम सिंघाना में ख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के अंतर्गत शुक्रवार को जनपद पंचायत मनावर की ग्राम पंचायत सिंघाना स्थित हरसिद्धि मंदिर परिसर में जिला स्तरीय जनविश्वास शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। अभियान का उद्देश्य शासन और प्रशासन को सीधे जनता के बीच पहुंचाकर आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है।



जल संरक्षण एवं पेयजल समस्या के निराकरण को प्राथमिकता दें : कलेक्टर

कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष अल्पवर्षा की स्थिति को देखते हुए जल संरक्षण के कार्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने पंचायतों में तालाबों के गहरीकरण, मरम्मत एवं जल संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्यों को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिन गांवों में पेयजल की समस्या है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना तैयार कर समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर निराकरण योग्य समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान किया जाए। जिन समस्याओं के निराकरण में जिला प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाएं। उन्होंने ग्रामीणों से विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की। शिविर में पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार जैन एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रमोद गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र हितग्राही तक पहुंचाएं

शिविर में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, बीज, कृषि उपकरण, ड्रिप सिंचाई तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी जैसी सुविधाओं की जानकारी भी दी गई।

सिंघाना पंचायत की महिलाओं को प्रतिमाह मिल रही सहायता

शिविर में जानकारी दी गई कि ग्राम पंचायत सिंघाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। इस राशि से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय बाजार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई।

ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, आवास एवं सिंचाई से संबंधित समस्याएं रखीं

शिविर में ग्रामीणों एवं किसानों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कीं। वरिष्ठ किसान श्री देवराम पाटीदार एवं श्री अशोक राठौड़ ने ओंकारेश्वर चतुर्थ चरण सहित किसानों से संबंधित विषयों पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया।

वहीं श्री मगन सिंह भाटिया एवं श्री कुंदन पाटीदार ने बिजली से संबंधित समस्याओं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने की बात रखी। अधिकारियों ने प्राप्त समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता देने की सलाह

शिविर में इस वर्ष अल्पवर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को जल उपलब्धता के अनुरूप फसलों का चयन करने की सलाह दी गई। विशेषकर जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां कपास की कटाई के बाद चना, मसूर एवं सरसों जैसी कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता देने की अपील की गई। इस दौरान बताया गया कि नर्मदा आधारित सिंचाई परियोजनाओं से धार जिले के कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

डही माझको सिंचाई परियोजना, नर्मदा-झाबुआ माझको सिंचाई परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं से आने वाले समय में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया

जिला पंचायत सदस्य श्री शिवराम कनौज ने क्षेत्र के किसानों की एमपीबीपी से संबंधित समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविरों से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है। पूर्व में भी शिविरों के माध्यम से कई समस्याओं का समाधान हुआ है। उन्होंने किसानों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं के शीघ्र निराकरण की अपेक्षा व्यक्त की।

स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने साझा किए आत्मनिर्भरता के अनुभव

शिविर में महिला स्वसहायता समूहों की सदस्यों ने समूहों के माध्यम से संचालित गतिविधियों, रोजगार के अवसरों एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनने के अवसर मिल रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान किया गया।

विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर उनके निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। शिविर में जिला पंचायत सदस्य, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, महिला स्वसहायता समूहों की सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर हुआ आयोजित

झाबुआ। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल, अल्पायु एवं जबरन विवाह उन्मूलन दिवस के अवसर पर न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।



कार्यक्रम जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश देवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी जयदेव माणिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सचिव दिनेश देवड़ा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरुति है, जो बच्चों के बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य को प्रभावित करती है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह करना एवं करवाना कानूनन अपराध है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने, सुरक्षित वातावरण में रहने तथा सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे स्वयं बाल विवाह नहीं करेंगे तथा अपने परिवार एवं समाज में भी बाल विवाह रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं समान अधिकारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। श्री देवड़ा ने पॉक्सो अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया है।

उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे एवं बुरे स्पर्श की पहचान, किसी भी अनुचित व्यवहार का विरोध करने तथा ऐसी घटना होने पर बिना डर एवं संकोच के अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

साइबर अपराधों से रहे सावधान-शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी जयदेव माणिक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वर्तमान डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सजग रहने की समझाईश दी। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मोबाईल एवं इंटरनेट का असावधानीपूर्वक उपयोग साइबर अपराधों का कारण बन सकता है। उन्होंने अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करने, अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओटीपी एवं पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करने तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताएं। जयदेव माणिक ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा एवं सामाजिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है।

विशेषकर युवावस्था में नशे की लत भविष्य को अंधकारमय बना सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को तंबाकू, गुटखा, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों से दूर रहने तथा अपने मित्रों एवं परिवारजनों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की समझाईश दी। आपने बताया कि युवा पीढ़ी को नशामुक्त रखकर ही स्वस्थ एवं सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है।

ट्रक की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त, चालक के खिलाफ मामला दर्ज

पिपलिया स्टेशन (निप्र)। ग्राम टकरावद में बस स्टैंड स्थित गांधी प्रतिमा के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कार चालक को कोई चोट नहीं आई। प्रदीप शर्मा (35) निवासी सावन, जिला नीमच ने नारायणगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई वह रणजीत सिंह निवासी रायसिंहपुरा की मारुति स्विफ्ट कार आरजे 27 सीजे 4514 लेकर ग्राम देवड़ा खजूरी में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम से लौटते समय शाम करीब 7 बजे ग्राम टकरावद बस स्टैंड पर गांधी प्रतिमा के समीप जाम लगा हुआ था। इस दौरान प्रदीप ने अपनी कार खड़पालिया मार्ग की ओर मोड़ी, तभी बूढ़ा की तरफ से तेज गति और लापरवाहीपूर्वक आ रहे ट्रक क्रमांक आरजे 14 जीजे 2371 ने कार को बाईं ओर से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार गांधी प्रतिमा की बाउंड्री से टकराते हुए आगे निकल गई, वहीं ट्रक भी प्रतिमा से टकराकर रुक गया। हादसे में कार के बाईं ओर और पिछले हिस्से में काफी नुकसान हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया।

पिपलिया महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजित, विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

पिपलिया स्टेशन (निप्र)। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय पिपलिया में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2026-27 का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत मिमिक्री, स्किट (हास्य नाटिका) एवं मूकाभिनय प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं, जिनमें जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जिला युवा उत्सव समिति प्रभारी डॉ. कविता बुन्देला मुख्य अतिथि एवं निर्णायक के रूप में उपस्थित रहीं। प्रतियोगिताओं के परिणामों में मिमिक्री विधा में कुशाभाऊ ठाकरे शासकीय महाविद्यालय शामगढ़ की देवांशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्किट (हास्य नाटिका) में पीएमसीओई राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर की सी टीम प्रथम रही, जबकि मूकाभिनय प्रतियोगिता में शासकीय महाविद्यालय पिपलियामंडी की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका डॉ. चंद्रकला चौहान एवं प्रो. राधेश्याम कटरा ने निभाई।

भातकी-जाहूर क्लस्टर की 26 ग्राम पंचायतों में लगे मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर

खेतिया। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर पर बैठे पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को पानसेमल विकासखंड के भातकी एवं जाहूर क्लस्टर की 26 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और प्राप्त आवेदनों के निराकरण की कार्रवाई की।

इन शिविरों का आयोजन बाद्रियाबढ़, बायगौर, बेहड़िया, भातकी, धावड़ी, करणपुरा, मलफा, मलगांव, ओसवाड़ा, राखी चुनुर्ग, राखी खुर्द, सकराली बुजुर्ग, शिवनी पड़ावा, आमझिरी, बालझिरी, भड़गोन, दौंदवाड़ा, गोंगवाड़ा, जाहूर, कानसुल, मोरतलाई, नादियाबढ़, निस्सपुर, पचाली, टेमला एवं वांगरा ग्राम पंचायतों में किया गया।



ग्राम बायगौर में आयोजित शिविर की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अर्पित गुप्ता ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पानसेमल क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। किसानों को खेती के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं स्वरोजगार जैसे अन्य आय के स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनविश्वास शिविरों के माध्यम से ग्रामीण विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आजीविका को मजबूत बना सकते हैं।

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से रात्रि चौपाल भी आयोजित की जा रही हैं।

1,179 आवेदनों में से 1,155 का निराकरण

आयोजित शिविरों में कुल 1,179 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,155 आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविरों के माध्यम से 410 आयुष्मान कार्ड, 130 ई-केवाईसी तथा 72 फार्मर आईडी तैयार की गईं। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।

1,179 आवेदन प्राप्त, 1,155 का मौके पर निराकरण; आयुष्मान कार्ड, फार्मर आईडी सहित विभिन्न योजनाओं का मिला लाभ

हितग्राहियों को वितरित किए स्वीकृति पत्र एवं लाभ

ग्राम बायगौर में आयोजित शिविर में जनपद पंचायत पानसेमल अध्यक्ष श्रीमती शीला विनोद वास्वे, जिला पंचायत सीईओ श्री अर्पित गुप्ता एवं अपर कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं लाभ वितरित किए।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत तीन क्षय रोगियों को पूरक पोषण आहार प्रदान किया गया।

उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत श्रीमती अंजलि प्रजापति को 5 लाख रुपये तथा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत श्री शिवराम चौहान को 1 लाख रुपये के ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए।

इसी प्रकार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं संबंधित विभाग द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्री जयदास ठाकरे को 8 लाख रुपये का ऋण स्वीकृति पत्र दिया गया। वहीं संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत श्री गोपाल भाईदास कुंवर को 8 लाख रुपये तथा श्री महेश अरविंद बगुल को 10 लाख रुपये का लाभ प्रदान किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लक्ष्मी, अश्विनी, पूजा एवं रोली को लाभान्वित किया गया। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत श्री भजन नरगावे एवं रत रीता को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ एवं समस्याओं के निराकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।